



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272317
CG-DL-E-07052026-272317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2196]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2287(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में जहाँ तक क्रम संख्या 70 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. ओ-17024/34/2018-आवासन-यूडी-भाग(1)/ई-9177456]

कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में 2016 का अधिनियम संख्यांक 16, दिनांक 26 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2287(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, insofar as it relates to serial number 70 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), shall come into force.

[F. No. O-17024/34/2018-HOUSING-UD-Part(1)/E-9177456]

KULDIP NARAYAN, Jt. Secy.

Note: The principal Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, *vide* the Act number 16 of 2016, dated 26th March, 2016.